

11.11.22

MO  
Press

Shanmukh

11/11/22

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विकट अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहिए। अतः प्रकरण इसी स्तर पर नोट प्रेस में ड्रॉप/रफ्तार फरमाया जावे।

मैंने वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर नोट प्रेस में ड्रॉप किया जाता है। खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर मम्बर से बम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

